

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 186 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक जुलाई, 12-2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:

जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 400 कें0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के संबंध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफ.पी./यूपी/दान्स/44753/2020)

संदर्भ:

1-उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ का पत्र संख्या- 1085/81-2-2023-800(04)/2023 दि0 24.05.2023
2-आपका पत्र संख्या- 3745/11-सी लखनऊ दिनांक- 26.05.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक-24.05.2023 द्वारा उल्लिखित कमियों का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 61/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक 05.07.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उल्लिखित कमियों का निराकरण कर निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार प्रेषित किया है :-

क्र0 सं0	उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ का पत्र संख्या- 1085/81-2-2023-800(04)/2023 दि0 24.05.2023	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय।	इस शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2	वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी मे0 अडानी है अथवा उ0प्र0 पावर टान्समिशन कार्पोरेशन लि0 है ?	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी उ0प्र0 पावर टान्समिशन कार्पोरेशन लि0 है।
3	प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव है अथवा नहीं ?	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव नहीं है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या- 186 / अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा को उनके कार्यालय पत्रांक-61/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 05.07.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापित पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2	वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी में 0 अडानी है अथवा 00प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० है ?	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी 00प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० है।
3	प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव है अथवा नहीं ?	प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव नहीं है।

अतः 00प्र0 शासन द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वांछित सूचना/अभिलेख की चार प्रतियां संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सूचना/अभिलेख की तीन प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

आपत्ति-4
 0 प्रयोक्ता 00
 00/00/23

भवदीय,
 (अनुराम प्रियदर्शी)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनमद्र ।
पत्रांक 61 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-05-07-2023.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद-सोनमद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118हे0 अरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753 /2020)

सन्दर्भ:- उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-1085/81-2- 2023-800(04)/2023, दिनांक-24.05.2023 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पृष्ठांकन संख्या-3745/11-सी दिनांक-26.05.2023, इस कार्यालय के पत्रांक-1926/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-06.03.2023, पत्रांक-2519/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-29.05.2023 तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर के कार्यालय के पत्रांक-324/वि0प्रे0खं0-गा0/ दिनांक-27.02.2023, पत्रांक- 912/वि0प्रे0खं0-गा0/दिनांक-24.06.2023

महोदय,

अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर के कार्यालय के पत्रांक-324/वि0प्रे0खं0-गा0/दिनांक-27.02.2023 द्वारा (400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन के) लीज नवीनीकरण का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक-1926/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-06.03.2023 द्वारा उचित माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया। उ0प्र0 शासन द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने पत्र संख्या-1085/81-2-2023-800(04)/2023 दिनांक-24.05.2023 द्वारा कमियों का उल्लेख करते हुए सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, जिसके क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा लागयी गयी आपत्तियों का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-2519/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-29.05.2023 द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया।

जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर) ने अपने कार्यालय के पत्रांक-912/वि0प्रे0खं0-गा0 दिनांक-24.06.2023 द्वारा निम्नलिखित आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है:-

पट्टा विलेख

यह पट्टा सन् 1999 के अक्टूबर माह के 1 वे दिन तदनुसार शक संवत् —
 के मास के _____ दिन को श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (जिनको आगे चलकर
 'पट्टादाता' कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा मेसर्स 30प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में 30प्र0 पावर ट्रान्स्मिशन
 कारपोरेशन लि0) पंजीकृत कार्यालय 30प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन 14 अशोक मार्ग लखनऊ 30प्र0
 228001 है. (जिसे आगे चल कर पट्टेदार कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मास में लिखा गया।

चूंकि भारत सरकार/राज्य सरकार के आदेश संख्या जीआई 322/14-2-99-700(2) 97
 दिनांक -01 अक्टूबर 1999 के द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या
 811/04/1682/98/FC दिनांक - 08.03.1999 में निहित शर्तों के अन्तर्गत आकरा वन प्रभाग जिला
 सोनमद में पट्टेदाता को 400 के0वी0 लीलो आकरा विद्युत पारषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968
 हे0 उक्त वन भूमि हस्तान्तरित करने एवं गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति दी है।

और चूंकि पट्टादाता अपने पत्र संख्या जीआई 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक -01
 अक्टूबर 1999 के द्वारा उक्त प्रयोग हेतु 20 वर्षों के लिए दिनांक _____ को पट्टा विलेख
 निष्पादित किया गया था (जिसको एतदपरशात् मूल पट्टा विलेख कहा गया है)

और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर इसमें उल्लिखित अनुसूची में वर्णित 19.968
 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को शासनादेश संख्या जीआई 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक - 01
 अक्टूबर 1999 के अनुसार पट्टेदार के नाम आगे अभिव्यक्त अधिकार, निबन्धों एवं विविध
 प्रसविदाओं तथा अनुसूची के अधीन पट्टेदार को 400 के0वी0 लीलो आकरा विद्युत पारषण लाईन के
 निर्माण हेतु (जिसे एतद परशात् उक्त पर्यावरण कहा गया है) 20 वर्षों की अवधि के लिये पट्टे पर
 पट्टेदार को गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित करने के लिए सहमत हुए हैं।

और चूंकि पट्टादाता अपने पत्र संख्या जीआई 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक - 01
 अक्टूबर 1999 (जिसे एतदपरशात् उक्त शासनादेश कहा गया है) द्वारा पट्टाविलेख की अनुसूची में
 उल्लिखित वनभूमि को 20 वर्षों की अवधि के लिये पट्टे पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित करने
 के लिये एतदपरशात् अभिव्यक्त अधिकारों, निबन्धों एवं प्रसविदाओं के अधीन सहमत हुए हैं।

और चूंकि पट्टादाता द्वारा इस पट्टा विलेख को निष्पादित किये जान हेतु शासनादेश
 संख्या जीआई 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक - 01 अक्टूबर 1999 जारी किया है।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में ट्रान्सावर आफ प्रायर्टी एक्ट, 1982 संपादित
 वन संरक्षण अधिनियम समय-समय पर यथा संशोधित के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि
 रु0 1855622.40 (रुपया अठ्ठारह लाख पचपन हजार दो सौ बाईस एवं बालिस पैसे) मात्र के खर्च
 पर 19.968 हे0 गैर वन भूमि जनपद सोनमद में तथा उक्त गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु
 रु0 855968.25 (रु0 आठ लाख पचपन हजार नौ सौ अठ्ठाठ एवं पच्चीस पैसे मात्र) चेक नं0
 751375 दिनांक 23.11.1998 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कैमुर वन्यजीव प्रभाग मिर्जापुर जिसकी प्राप्ति
 पट्टादाता एतदद्वारा स्वीकार करता है तथा आगे आरक्षित भूमि का वार्षिक लीज रेंट की प्राप्ति के
 फलस्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गई प्रसविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतदद्वारा 19.968
 हे0 वन भूमि उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इससे सम्बद्ध अनुसूची में दिया हुआ है तथा जो
 स्पष्टीकरण के लिये इस पट्टा विलेख से सलग्न मानचित्र में हरा रंग से दर्शा दिया गया है (जिसे
 आगे वनभूमि कहा जायेगा)

प्रभागीय वनाधिकारी
 जिला वन प्रभाग
 सोनमद

प्रतिनिधि सत्यापित
(Signature)
 24.6.2013

Electricity Engineer
 Electricity Transmission Division-1,
 U.P. Power Transmission Corporation Ltd

अधिसूची अभियन्ता
 विद्युत प्रेषण खण्ड
 30 प्र 0 रा 0 वि 0 प 0 लि 0
 लखनऊ

सन् 2020 के जुलाई माह के 24 वें दिन से 20 वर्ष की अवधि के लिये पट्टेदार को पट्टे पर गैर वानिकी प्रयोग के लिये हस्तान्तरित करते हैं। इस आधिपत्य के उपलब्ध में 1999 से 2019 उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कर्तवियों को छोड़कर रूपया 185552.24 (रु०-एक लाख पच्चासी हजार पाँच सौ बावन एव चौबिस पैसे) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन अथवा इसके पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ओबरा को भुगतान करेगा। उल्लेखनीय यह है कि पट्टेदार द्वारा एक वर्ष का वार्षिक किराया रूपया 185552.24 (रु०-एक लाख पच्चासी हजार पाँच सौ बावन एव चौबिस पैसे) मात्र अग्रिम के रूप में चेक संख्या 778319 दिनांक 30.11.1999 और चेक संख्या 763378 दिनांक 07.08.2000 को प्रभागीय वनाधिकारी वानिकी प्रभाग, ओबरा के कार्यालय में जमा कर दिया गया है।

1 - अतः पट्टेदार पट्टेदाता से निम्न प्रसंविदा करता है:-

1. प्रस्तावित हस्तान्तरित वनभूमि की वानिकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. हस्तान्तरित की जाने वाली वनभूमि के समुच्चय में वनभूमि पर प्रस्तावित विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण किया जायेगा।
3. वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद की गयी गैरवनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत सरक्षित/आरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
4. वनभूमि पर पारंपण लाईन की अधिकतम चौड़ाई 52 मीटर होगी।
5. [I] पारंपण लाईन में तारों में विद्युत तटवन् करने वाले तारों / फेज के प्रत्येक कण्डक्टर के नीचे 3 मीटर चौड़ाई में वन भूमि को साफ करने का अनुमति होगी ऐसी परिदृश्यों पर स्थिति पेड़ों को काटने या सक्का दे दिव्य करके सम्पन्न होने पर ऐसे स्थानों पर पुनर्वनीकरण की अनुमति है। तटवन् करने वाले तारों के अन्तर्गत वन भूमि का पातन/शाखा छटायी का कार्य स्वयंसेवक वानिकीकरण की पुनानुमति प्राप्त किया बिना नहीं किया जायेगा। पारंपण लाईन के रखरखाव हेतु एक बहरी पट्टी रिक्त रखी जायेगी।
[II] पारंपण लाईन की फेज चौड़ाई में अनुक्षण के समय विद्युत दापो से बचने के लिए पेड़ों और कण्डक्टर के बीच कम से कम 5.5 मीटर का अन्तराल रखा जायेगा ताकि पारंपण लाईन का रखरखाव न्यूनतम रहे। उक्त हेतु आवश्यकतानुसार वृक्षों का पातन/शाखा छटायी किया जायेगा।
[III] पर्वतीय क्षत्रों में पारंपण लाईन के निर्माण के सम्बन्ध में वृक्षों एवं लाईन के बीच पर्याप्त दुरी होने पर वृक्षों का पातन किसी भी हाल में नहीं किया जायेगा।
6. वनक्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों द्वारा किसी भी दशा में शिदिर आदि नहीं लगाया जायेगा एवं मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वृक्षों को हानि न पहुँचाये इसलिए 30प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में 30प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) उन्हें ईंधन की तकड़ी तथा ईंधन सामग्री उपलब्ध करायेगा।
7. वनभूमि का उपयोग प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
8. वनों एवं सीमा के संस्करण एवं सर्वेक्षण हेतु 30प्र0 सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई जाने वाली शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

वनाधिकारी
ओबरा का प्रभाग
प्रभागीय वानिकी

प्रतिपि सत्यापित
Julich
9.4.6.2023
प्रभागीय अभियन्ता
विद्युत प्रेषण विभाग
30 प्र० पा० ट्रा० दा० लि०
मन्सूर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
M.P. Power Transmission Corporation Ltd
Vamoni

- उक्त वन भूमि परियोजना (वर्तमान में 30KV पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) के कर्मचारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार एवं उनके नियंत्रणाधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को हानि नहीं पहुँचावेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर 30KV पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) द्वारा देय होगा।
10. उक्त वन भूमि 30KV रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में 30KV पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) के उपयोग में लीज अवधि के भीतर जब तक वही रहेगी तब तक 30KV रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में 30KV पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) को उसकी आवश्यकता रहेगी, यदि 30KV रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में 30KV पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो 30KV रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में 30KV पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0)के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग 30KV सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वापस प्राप्त हो जायेगी।
11. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी उसके अधिकारताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
12. चूंकि 30KV रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में 30KV पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 19968 हे0 वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है अतः उनसे वन भूमि का मूल्य (प्रिमियम) नहीं लिया जायेगा, अपितु वर्तमान बीजार दर पर वनभूमि का मूल्य (प्रिमियम) जिलाधिकारी से निर्धारित कराकर मूल्य का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वनभूमि हस्तान्तरण से मूल लिया जायेगा।
13. 30KV रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में 30KV पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य समान्य शर्तों का सम्मिलित कब्जा हु0 पट्टा विलेख का जालेंख प्रस्तुत किया जायेगा जिसे शासकीय हस्तान्तरण से विधोक्षित कराया जायेगा। ऐसे प्रत्येक पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्यायिक कन्वेंयन्सिन्स प्रजोक्ट के शासनादेश संख्या 198/7 जी0सी0 89-3-89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित किरीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाये 01-न्याय प्रशासन 501-सेवाये और सेवा फीस -01- की गई सेवाओं के लिए भुगतानों की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

किन्तु सदा प्रतिबन्ध यह कि यह विलेख इस शर्त पर निर्धारित किया जाता है कि जंगल और जब कभी उपयुक्त किराये अथवा उसके किसी निश्चित भाग का निश्चित तिथि के पश्चात एक मास तक भुगतान से होगा, बाहे वह विधिक मांगा गया हो या न मंगा गया हो अथवा यदि पट्टे से वर्णित प्रसविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा, तब और ऐसे किसी दशा में पट्टादाता भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के किसी अधिकार को छोड़ दिया हो उक्त वन भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अधिकारियों को वहां से निकाल सकता है और तब यह गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर हस्तान्तरित वनभूमि का पट्टा बिल्कुल निरस्त हो जायेगी तथा उक्त वनभूमि पर निर्मित निर्माणों को हटाने अथवा उसके सम्बन्ध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार अन्ततः हो जायेंगे।

प्रमाणीय वनाधिकारी
 जिला वन प्रबंध
 गजौपुर

अभिनिमि सत्यापित
 9.11.2023
 विद्युत प्रेरण संचालक
 30 KV रा0 वि0 लि0
 गजौपुर

Executive Engineer
 Electricity Transmission Division-1
 U.P. Power Transmission Corporation Ltd
 Varanasi

यह भी उल्लेख होगा कि यदि गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर हस्तान्तरित उक्त वनभूमि को पट्टादाता को किसी समय अपने कार्य के लिये आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि पट्टेदार को उक्त वनभूमि पर उस समय निर्मित किसी निर्माण को हटाने की एक माह की दिये हुए नोटिस में और यह भी उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् उक्त अधि के समस्त होने पर ही मास के भीतर पट्टेदाता उक्त वनभूमि पर अपना अधिकार प्राप्त कर ले किन्तु यह है कि पट्टेदाता उक्त वनभूमि पर निर्मित पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी निर्माण को कार्य करना चाहें तो पट्टेदार को उस निर्माण के बदले में ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायगा जो राज्य सरकार के वन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अक्वारीत की जावे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी कि पट्टेदार उपर्युक्त अधि में ऐसी समस्त कर, दर तथा अन्य परिचयों का भुगतान करेगा जो पट्टे पर हस्तान्तरित वनभूमि के सम्बन्ध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य में देय होंगे।

॥ - और इस विलेख के दोनो पक्ष करार करते है कि:-

- (क)- उक्त वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग के बाद भी वनभूमि बनी रहेगी एवं उसके वर्तमान वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (ख)- इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या उसके विषय पर यदि कोई भी विवाद मतभेद अथवा प्रश्न दोनो पक्षों से या उसके किसी दावेदारों के बीच उभी नद अथवा हो तो उस पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वन विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अन्ततः होगा तथा इस विलेख के दोनो पक्ष उससे बाध्य होंगे।
- (ग)- पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि इस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वन विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्र पर जो अन्तिम निश्चयक तथा पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा भू-राजस्व के बकाया के रूप में पट्टेदार से वसूल कर ले।
- (घ)- इस विलेख के सम्बन्ध में देय स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
- (ङ)- पट्टेदार को उक्त वनभूमि किसी अन्य को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
- (च)- इससे पूर्व प्रयुक्त शब्द पट्टादाता और पट्टेदार के सम्बन्ध में जब तक उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो पट्टादाता की दशा में उसके पद के उत्तराधिकारियों तथा पट्टेदार की दशा में उसके उत्तराधिकारियों का अन्तर्भाव निहित है।
- (छ)- उक्त वनभूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।

[Signature]
 प्रमुख सचिव
 वन विभाग
 उत्तर प्रदेश सरकार
 लखनऊ

प्रतिलिपि सहायित
 24.8.2013
 प्रमुख सचिव
 वन विभाग
 उत्तर प्रदेश सरकार
 लखनऊ

[Signature]
 Executive Engineer
 Electricity Transmission Division-1
 U.P. Power Transmission Corporation Ltd
 Varanasi

अनुसूची


भूमि का विवरण


खस/वन ब्लॉक का नाम	खसरा/कम्पार्टमेंट नम्बर	क्षेत्रफल (है० में)
घोषन	23	19.968
ओबरा		

इस विलेख के साक्ष्य में श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से श्री (मुख्य अरण्यापाल) मुख्य वन सस्मक जनपद, ने तथा पट्टेदार की ओर से उनके द्वारा अधिकृत श्री सतीश कुमार सिंह ने नीचे हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे पदनाम दिया हुआ है।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर


 प्रमाणोय प्रजापिकररी
 ओबरा वन प्रभाग
 ओबरा जैनमद


 24.7.2020
 Executive Engineer
 (राज्यपाल विभाग)
 Electrical Transmission Division-I
 U.P. Power Transmission Corporation Ltd
 विद्युत प्रेषण निगम लि. कानपुर
 30 प्र० पा० ट्रा० का० लि० शक्ति भवन 14-असोक
 मार्ग लखनऊ

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत


पट्टेदार की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत

साक्षीगण

1-

पता-

2-

प्रतिलिपि सहायित 1

 24.6.2023

अधिशासी अभियंता
 विद्युत प्रेषण विभाग
 30 प्र० पा० ट्रा० का० लि०
 कानपुर

